



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124898

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या- 20451 वर्ष 2026

कमल कांत एवं अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : जय किशन, विपिन कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 34

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया। विपक्षी संख्या- 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत यह आवेदन आवेदकों द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर किया गया है:

"अतः, अत्यंत आदरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक इस आवेदन को स्वीकार करने और थाना मिरहची, जिला एटा से संबंधित (वाद अपराध संख्या- 110 वर्ष 2024 से उद्भूत) आपराधिक मामला संख्या- 190 वर्ष 2026, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कमल कांत एवं अन्य, जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या- 2, एटा के समक्ष शुरू किया गया है, में समन आदेश दिनांक 12.12.2025 (अनुलग्नक संख्या- 10) के अनुक्रम में संपूर्ण आपराधिक कार्यवाहियों को निरस्त करने की कृपा करे।"

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें दीवानी विवाद के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। विपक्षी संख्या- 2 ने आवेदकों और दो अन्य नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध थाना मिरहची, जिला एटा में धारा 379 और 479 आईपीसी के तहत वाद अपराध संख्या- 110 वर्ष 2024 के रूप में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 10.06.2024 को उन्होंने मौजा धीरामई में स्थित गाटा संख्या- 658 और 747 वाले कृषि योग्य खेत में अवैध रूप से प्रवेश किया और उक्त खेत में पड़े लोहे के बोर्ड के भाग को काट दिया तथा उसे एक वाहन में अपने साथ ले गए। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस मामले के प्रत्यक्षदर्शी हितबद्ध गवाह हैं और वे विपक्षी संख्या- 2 के रिश्तेदार हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विवेचक ने निष्पक्ष और उचित विवेचना नहीं की है और आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया तथा विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 12.12.2025 को संज्ञान ले लिया, जबकि आवेदकों के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है, इसलिए समन/संज्ञान आदेश के साथ-साथ उपरोक्त मामले की संपूर्ण कार्यवाहियों को निरस्त किया जाए।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों, विपक्षी संख्या- 2 और गवाहों के बयानों तथा विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री के परिशीलन से, आवेदकों के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या अपराध स्पष्ट रूप से बनता है और इस प्रकार, संपूर्ण कार्यवाहियों को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

5. अभिलेख के अनुसार, विपक्षी संख्या- 2 ने आवेदकों और दो अन्य नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध थाना मिरहची, जिला एटा में धारा 379 और 479 आईपीसी के तहत वाद अपराध संख्या- 110 वर्ष 2024 के रूप में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिनांक 10.06.2024 को उन्होंने मौजा धीरामई में स्थित गाटा संख्या- 658 और 747 वाले कृषि योग्य खेत में अवैध रूप से प्रवेश किया और उक्त खेत में पड़े लोहे के बोर्ड के भाग को काट कर एक वाहन में अपने साथ ले गए। विवेचना के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए गए और विवेचना पूर्ण होने के पश्चात आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया तथा विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 12.12.2025 को संज्ञान लिया।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन से और इस चरण में मामले के तथ्यों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदकों के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए सभी तर्क तथ्यों के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं, जिनका न्यायिक निर्धारण इस न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नहीं किया जा सकता है। इस चरण में केवल प्रथम दृष्टया मामला ही देखा जाना है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 192 और अंत में ज़ेडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद शराफुल हक़ एवं अन्य (पैराग्राफ-10), 2005 एससीसी (क्रिमिनल) 283 के मामलों में प्रतिपादित कानून के आलोक में स्पष्ट है। अभियुक्तों के विवादित बचाव पर इस चरण में विचार नहीं किया जा सकता है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे उपरोक्त मामले को निरस्त करने का कोई आधार नहीं मिलता है, इसलिए इसे निरस्त करने की प्रार्थना को एतद्वारा अस्वीकार किया जाता है।

8. तदनुसार, यह आवेदन **खारिज किया जाता है।**

3 जून, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।